मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-1-2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 21-1-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 41वॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 विभागीय जॉच प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी-6-4/98/3/एक, दिनांक 12-8-98 तथा परिपत्र क्रमांक सी-6-9/99/3/एक, दिनांक 2-7-99.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 41वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 में उल्लेख किया है कि कतिपय विभागों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम- 14 एवं 16 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयावधि में न करने से दोषी शासकीय सेवक युक्तियुक्त दण्ड पाने से बच जाते हैं.

2. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं. हाल ही में जारी परिपत्र दिनांक 12-8-98 के साथ एक सारणी भी संलग्न की गयी है जिसमें विभागीय जांच प्रक्रिया की विभिन्न प्रावस्थाओं में लगने वाले संभावित अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गयी है. इस प्रकार सम्पूर्ण जांच प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण की जाना अनिवार्य है. विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 2-7-99 द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पैनल में से संविदा आधार पर जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं. उक्तानुसार विभागीय जॉच के प्रकरणों का निपटारा समयावधि में किये जाने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है.

4. शासन द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि विभागीय जॉच के प्रकरणों का निर्वतन शीघ्रता से और समयावधि में किया जाय तथा विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना अपेक्षित है.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.